

द्वारा पुनर्ग्रहण उस पर सन्निमित्त ऊपरी ढांचे मात्र के लिए प्रतिकर दे कर किया जा सकता है कि नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) महान्यायवादी ने जो राय दी है उसमें विधि सचिव के इस विचार की पुष्टि की है कि प्रदत्त परिशरों का सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण उन पर सन्निमित्त ऊपरी ढांचे मात्र के लिए प्रतिकर दे कर और भूमि के मूल्य के लिए कोई भी प्रतिकर दिए बिना सम्यक रूप से किया जा सकता है। ऊपरी ढांचे का मूल्य लगभग 12,500 रुपए और भूमि का मूल्य लगभग 10 लाख रुपए होगा।

#### Explosion in Siliguri-Bound Passenger Train

- \*42. SHRI P. M. SAYEED :  
 SHRI D. N. DEB :  
 SHRI R. K. AMIN :  
 SHRI MEETHA LAL MEENA :  
 SHRI ISHAQ SAMBHALI :  
 SHRI R. R. SINGH DEO :  
 SHRI MINIBHAI J. PATEL :  
 SHRI RAM CHARAN :  
 SHRI HARDAYAL DEVGUN :  
 SHRI YAJNA DATT SHARMA :  
 SHRI BEDABRATA BARUA :  
 SHRI P. L. BARUPAL :  
 SHRI BENI SHANKER SHARMA :  
 SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have instituted an enquiry into the causes of explosion in the rear third class bogie including the guard's van of the 20 Down Tinsukia-Siliguri Passenger train between Dharamtul and Aujuri stations on the 21st May, 1969 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the extent of loss of life and property ; and

(d) whether Government have given or proposed to give any compensation to the

families of those who have been killed or injured in the accident ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : (a) Yes Sir. An enquiry was held by the Additional Commissioner of Railways Safety.

(b) According to the Provisional findings of the additional commissioner of Railways Safety the explosion occurred due to some high explosives being carried in the train in an unauthorised manner by some person or persons unknown.

(c) Four persons were killed and property worth about Rs. 8,000 was damaged.

(d) No claim for compensation has been received or paid so far.

#### औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति

- \*43. श्री रामावतार शर्मा :  
 श्री भोगेन्द्र झा :  
 श्री देवेन सेन :  
 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :  
 श्री जुगल मंडल :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 1 अप्रैल, 1969 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति संबंधी जांच समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों को जिन के लिए बहुत कम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है अथवा विदेशी मुद्रा की बिल्कुल आव-